न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/टीए/285/2004/चित्तोड़गढ़

1– राज्य जरिये जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़।

2– राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तोड़गढ़।

---- प्रार्थी

बनाम

1– नारायणसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी मुरलिया तहसील गंगरार।

2– रूपा पिता कजोड़ चमार निवासी मुरलिया तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ़।

---- अप्रार्थी

उपस्थितः–

(1) श्री हनुमान प्रसाद, अति0 राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
(2) श्री डूंगरसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
(3) अप्रार्थी सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(2) अपील/टीए/421/2004/चित्तोड़गढ़

1– रूपलाल पुत्र कजोड़ जाति चमार निवासी मुरलिया तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़।

---- प्रार्थी

बनाम

1– नारायणसिंह पुत्र उंकारसिंह जाति राजपूत निवासी मुरलिया तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़।

2– राजस्थान सरकार।

---- अप्रार्थीगण

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांक :–29.10.2021**

यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा अपील सं0 176/2002 एवं 235/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20–11–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु एक समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय से निर्णय किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी नारायणसिंह ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तोड़गढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुरलिया के भूतपूर्व जागीरदार चावंडसिंहजी थे तथा उक्त ग्राम जागीर में था जिसकी आराजी नंबर 298 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा सम्मिलित थी जिसका वर्तमान नंबर 223/271 रकबा 76 ऐयर है। जागीर रिजम्पशन के पूर्व सम्वत् 2009 चैत्र सुदी 3 को उक्त आराजी नंबर 298 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी के पिता उंकारसिंह को दी तथा पट्टा भी निष्पादित करा दिया तथा भूमि का कब्जा भी वादी के पिता को सुपुर्द करा दिया जिस पर वादी के पिता ने उनके जीवनकाल में काश्त की तथा जागीर रिज्युम पर जागीर कलक्टर, चित्तोड़गढ़ को पट्टा दिया जिस पर प्रकरण सं0 7938 दर्ज हुआ जिसमें वादी के पिता को दिया गया पट्टा भी है तथा इस पट्टे को मान्यता देकर पट्टेधारी का नाम अंकित करने का निर्देश दिया परन्तु प्रतिवादी सं0 3 का नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया। वादी के पिता का निधन 7 वर्ष पूर्व हो गया तथा वादी अपने पिता की मृत्यु के बाद घास काटता चला आ रहा है। प्रथम भू–प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी रूपा का नाम बिना किसी आधार के अंकित होने से वर्तमान में उसका नाम दर्ज कर दिया गया जो समस्त कार्यवाही भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने बिना जांच किये की तथा वादी का नाम अंकित नहीं किया जबकि मौके

पर आज भी वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी सं0 3 का गत 40 वर्षो से कभी कब्जा नहीं रहा और उस पर लगातार वादी ही काबिज चला आ रहा है। अतः वादी प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 3 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी. में वादी के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया जो वादी के मुकाबले एक इनिशियों शून्य है जिससे प्रतिवादी को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादी को आराजी खसरा नं0 298 जिसके नवीन नंबर 223/271 रकबा 0–76 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी को बेदखल नहीं करें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें प्रतिवादी सं0 3 ने उपस्थित होकर वादोत्तर प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 30–10–1999 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–1999 से व्यथित होकर विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के समक्ष अपीलांट रूपलाल ने एक अपील सं0 176/2002 व राज्य सरकार/अपीलांट ने दूसरी अपील सं0 235/2002 प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–11–2003 से दोनों अपीलें मियाद बाहर पेश होने तथा मियाद को कन्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में कोई आधार/साक्ष्य पेश नहीं हुए हैं जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से दोनों अपीलें मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दी गई जिस निर्णय दिनांक 20–11–2003 से पीड़ित होकर एक अपील सं0 285/2004 अपीलांट सरकार की ओर से व दूसरी अपील सं0 421/2004 अपीलांट रूपलाल की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस दोनों अपीलों पर सुनी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट श्री हनुमान प्रसाद अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के

विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सहायक जिलाधीश के न्यायालय में प्रकरण की पैरवी तहसीलदार लीव रिजर्व करते थे और उनके द्वारा उक्त निर्णय की कोई सूचना जिलाधीश या तहसीलदार को नहीं दी गई और तहसीलदार गंगरार को इस निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब अप्रार्थी द्वारा सहायक जिलाधीश द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण अपने नाम किये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि धारा 5 कानूनी मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय नरम रूख अपनाना चाहिए तथा ऐसी तकनीकी में नहीं जाना चाहिए तथा वास्तविक न्याय के उद्देश्य से प्रकरण की देरी को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–11–2003 को अपास्त करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय हेतु विद्वान अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

6– योग्य अधिवक्ता अपीलांट श्री योगेन्द्रसिंह ने अपील अपील मीमों में अंकित तथ्यों को वर्णित करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विद्वान सहायक जिलाधीश (मु0) का निर्णय अस्पष्ट, कारणरहित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील सं0 176/2002 को निर्णित करते समय उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित तथ्य क्यों विश्वसनीय नहीं है। इस आशय का स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट ने विद्वान सहायक जिलाधीश के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–1999 की जानकारी दिनांक 27–7–2002 को होना बताया है। रेस्पो0 नारायणसिंह ने ऐसा कोई काउन्टर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि प्रार्थी को परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार को स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपीलीय

न्यायालय को अपील गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिए थी। अपीलांट गरीब अनुसूचित जाति का अशिक्षित व्यक्ति है, उसके अभिभाषक द्वारा पैरवी में की गई शिथिलता को आधार नहीं बनाना चाहिए था। अभिभाषक की गलती का खामियाजा अपीलांट गरीब को नहीं देना चाहिए। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार सम्वत् 1994 के पूर्व से चला आ रहा है। प्रतिवादी के पिता श्री कजोड़ तत्कालीन जागीरदार के माफीदार थे। बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी के पिता के नाम 20–1–38 को पट्टा जारी किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर प्रार्थी/अपीलांट विवादग्रस्त भूमि का खातेदार था तथा वाद प्रस्तुत होने की दिनांक को भी वह खातेदार था। विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपील की मैरिट को प्रथम दृष्ट्या ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुतम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 को निर्णित करना चाहिए था। विद्वान सहायक जिलाधीश का निर्णय दिनांक 30–10–1999 एबिनिशों वोईड है और ऐसे निर्णय के विरूद्ध मियाद बाधित नहीं है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–11–2003 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु विद्वान अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 1998 आर0आर0डी0 पेज 319, 2009 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 151 व 2017 आर0बी0जे0 पेज 377 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

7– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 श्री डूंगरसिंह ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर सही तौर पर अपील खारिज की है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी अभिभाषक को थी क्योंकि वह उपस्थित था। सरकार एवं प्राईवेट पक्षकार में कोई भेद मियाद के बिन्दु पर नहीं किया जावेगा। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें। धारा 42 के अन्तर्गत सम्वत् 2009 से ही जागीरदार को पट्टा देने का हकदार था। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त हमारा है। जागीर के पट्टे को माना जावेगा। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जावें।

8– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सहायक कलक्टर (मु0) चित्तोड़गढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–1999 से वादी का वाद डिक्री किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–11–2003 से दोनों अपीलें मियाद बाहर पेश हुई हैं तथा मियाद को कन्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में कोई आधार/साक्ष्य पेश नहीं हुए हैं जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से दोनों अपीलें मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। चूंकि प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही निर्णित किया जा रहा है जिससे गुणावगुण पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील सं0 176/2002 व 235/2002 अवधि बाधित होने से अस्वीकार की जाती है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपील सं0 176/2002 में अपील में मात्र प्रस्तुत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने अंकित किया है कि वकील अपीलांट का स्वर्गवास हो जाने से निर्णय बाबत् कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हुई एवं निर्णय विधि विपरीत होने से अपील के लिए मियाद नहीं है। दिनांक 5–8–2002 को विपक्षी/रेस्पो0 कब्जा करने आया तो निर्णय एवं डिक्री की जानकरी हुई, इस पर दिनांक 9–8–2002 को प्रार्थना पत्र नकल प्राप्त करने हेतु दिया तथा दिनांक 13–8–2002 को नकल प्राप्त हुई। अतः दिनांक 30–10–1999 से 8–8–2002 तक का समय उपरोक्त कारण से कण्डोन फरमाया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक प्रतीत होते हैं। अतः विलम्ब को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है।

11– अपील सं0 235/2002 में अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/तहसीलदार गंगरार द्वारा अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी

अपीलांट को नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी सहायक जिलाधीश के न्यायालय से प्राप्त पत्र दिनांक 27–7–2002 को हुई, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु दिनांक 20–8–2002 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 26–8–2002 को प्राप्त हुई परन्तु उक्त निर्णय के साथ नकल डिक्री प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के न्यायालय से नकल डिक्री प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28–10–2002 को पेश किया जिस पर नकल दिनांक 1–11–2002 को प्राप्त हुई। चूंकि अपील डिक्री के विरूद्ध होती है। ऐसी स्थिति में बिना डिक्री के अपील पेश करना सम्भव नहीं था। इसलिए यह अपील बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है।

प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषप्रद है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

12– योग्य अधिवक्ता अपीलांट श्री योगेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2017 आर0बी0जे0 पेज 382 में स्पष्ट प्रावधित है कि माननीय राजस्थान उच्च नयायालय ने 2016 (2) डी0एन0जे0 राज0 पेज 790 में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए क्योंकि मियाद के संबंध में प्रावधान प्रकियात्मक है, न कि दण्डात्मक। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए0आई0आर0 1987 (एस0सी0) पेज 1353 में विलम्ब को क्षम्य करने में न्यायालय का उदार दृष्टिकोण होना अभिमत व्यक्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनेकानेक निर्णयों में यह मत व्यक्त किया है कि जहां प्रकरण में सार हो वहां प्रकरण को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर निस्तारित करने के बजाय गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए जैसा कि न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 1998 पेज 319 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है। इस प्रकार मियाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उदार एवं लचीला रूख नहीं अपनाते हुए मात्र तकनीकी आधार पर धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक भूल की गई है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त सम्यक् प्रकरण पर चस्पा होने से दोनों अपीलें अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य हैं।

13– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–11–2003 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन अपील सं0 176/2002 व 235/2002 में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य मानते हुए दोनों अपीलों में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें। उभयपक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोड़गढ़ में दिनांक 30–11–2021 को उपस्थित हो।

14– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य